संख्या–118 /VI/2005–3(6)2004टी0सी0–II

प्रेषक,

ए0के0घोष,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग: देहरादून दिनांक 10 मार्च,2005

विषय: जिला योजना 2004–2005 के अधीन पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधाओं हेतु जिला योजना में धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–556/2–6–215/04 दिनांक 9–2–2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला योजना 2004–2005 के अधीन पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधाओं हेतु रू0 27.11 लाख के आगणनों के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रूपये 23.45 लाख के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 में निम्नलिखित योजनाओं हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 23.45 लाख (रूपये तेइस लाख पैतालिस हजार मात्र) की धनराशि को डिपाजिट के रूप में आहरित कर व्यय करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है:–

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 स0	योजना का नाम	योजना का मूल आगणन	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
1–	मार्गीय सुविधा चिरबटिया	9.11	8.05	8.05	गढवाल मण्डल विकास निगम, देहरादून ।
2–	मार्गीय सुविधा, तिलबाड़ा	8.48	7.40	7.40	–तदैव–
3–	मार्गीय सुविधा, ऊखीमठ	4.76	4.00	4.00	–तदैव–
4–	मार्गीय सुविधा, गुप्तकाशी	4.76	4.00	4.00	–तदैव–
	योग	**27.11**	**23.45**	**23.45**	

(रूपये तेइस लाख पैतालीस हजार मात्र)

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिडूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्राराम्भ न किया जाय ।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त योजनायें जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हों और जनपदवार आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत ही हों।
8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।
9– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।
10–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जए ।
11–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।
12–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
13–जिन कार्यो पर द्वितीय किस्त अवमुक्त की जानी है, उनमें व अन्य योजनाओं में भी प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही दूसरी किस्त अवमुक्त की जायेगी।
14–स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजनायें जनपद स्तर पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमादित हो एवं जनपद को आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत हो।
15–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–91–जिला योजना 07–पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधायें 42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।
16 –उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–725/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 10 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या– –VI /2005–3(6)2004टी0सी0–II तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग ।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
5– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
6– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
7– जिला पर्यटन विकास अधिकारी रूद्रप्रयाग ।
8– एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव